

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) को स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 1 मिलियन शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सस्टेनेबल हैं।
- यह योजना इकोनोमिकली वायेबल गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं (सीधे कृषि कार्यों जैसे फसल उगाने, खाद की खरीद, आदि इसमें सम्मिलित नहीं है)।



**Pradhan
Mantri Rozgar
Yojana**

सत्यमेव जयते



PMRY के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

- **आयु -**
- सामान्य उम्मीदवार: 18 और 35 वर्ष तक की आयु,
- SC/ST उम्मीदवारों (10 वर्ष की छूट,)
- महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग; 45 वर्ष की आयु तक हो सकती है।
- **शिक्षा** – आवेदक को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- **पारिवारिक आय** - 40,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें व्यक्ति और पति या पत्नी की आय या माता-पिता की आय शामिल है।
- **निवास** - आवेदक उस क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसमें वह वर्तमान में रहता है। उसे कम से कम 3 साल से वहां रहना चाहिए।
- **ऋण चूक** – आवेदक को पूर्व में लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसे अन्य सब्सिडी से जुड़ी सरकारी योजनाओं से भी नहीं जुड़ा होना चाहिए।



**Pradhan
Mantri Rozgar
Yojana**

